संख्या:-137 / 2025 / आई1013212 / 001-397आ0-23-5002-002-42-2024
(कम्प्यूटर सं0-1821333)

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0 / नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 03 जुलाई, 2025**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में **लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-29 "अनावासीय भवनों का अनुरक्षण"** मद के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर, अलीगढ़, बांदा, गोण्डा व सहारनपुर के 07 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-14866/CE-BLD/BUIL(SR)/GKP/2025-26, दिनांक 23.06.2025, सं0-14870/CE-BLD/BUIL(SR)/ALI/2025-26, दिनांक 23.06.2025, सं0-14871/CE-BLD/BUIL(SR)/BAN/2025-26, दिनांक 23.06.2025, सं0-14872/CE-BLD/BUIL (SR)/GON/2025-26, दिनांक 23.06.2025, सं0-14873/CE-BLD/BUIL (SR)/SAH/2025-26, दिनांक 23.06.2025,का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर, अलीगढ़, बांदा, गोण्डा व सहारनपुर के 07 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि में से **रू0 99.35 लाख(रू0 निन्यानबे लाख पैंतीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित की गयी धनराशि	समर्पण के समायोजन के उपरान्त अद्यतन अवशेष (6-7+8)	क्षेत्र से मांग	मुख्यालय द्वारा संस्तुत धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11/2025/आई-847621/001-691आ0-23-5002-002-95-24, दिनांक 10.01.2025	सर्किट हाउस एवं एनेक्सी भवन, गोरखपुर में स्थापित वातानुकूलन संयंत्रों के सी0ए0एम0सी0 के कार्य।	16.60	00.88	15.72	13.50	11.31	13.53	12.74	12.74	12.74
2	तदैव	सर्किट हाउस एवं एनेक्सी भवन, गोरखपुर में स्थापित डी0टी0एच0 के रिचार्ज,इन्वर्टर की बैटरी बदलने एवं नये इन्वर्टर बैटरी सेट की स्थापना का कार्य।	06.40	00.09	06.31	05.00	00.00	01.31	01.31	01.31	01.31
3	तदैव	सर्किट हाउस एवं एनेक्सी भवन गोरखपुर के विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु चेंजओवर पैनल स्थापना केबलिंग एवं सी0एस0एस0 रिपेरिंग का कार्य।	11.13	00.36	10.77	08.90	00.00	01.87	01.87	01.87	01.87
4	तदैव	अलीगढ में मुख्य अभियंता अलीगढ क्षेत्र लो0नि0वि0 अलीगढ के कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	09.47	00.01	09.46	07.55	00.00	01.91	01.44	01.44	01.44
5	42/2025/आई-884105/001-117आ0-23-5002-002-10-2025, दिनांक 19.02.2025	बांदा स्थित सर्किट हाउस में स्थापित वातानुकूलन संयंत्रों के कम्प्रेहिन्स्व वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	02.88	00.00	02.88	0.85	00.71	02.74	02.00	02.00	02.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	67/2025/आई-899631/001-133आ0-23-5002-002-15-2025, दिनांक 06.03.2025	गोण्डा में निरीक्षण भवन नवाबगंज के मरम्मत/अनुरक्षण के सिविल कार्य।	31.81	00.04	31.77	04.70	00.00	27.07	25.48	21.00	21.00
7	111/2025/आई-923946/001-232आ0-23-5002-002-15-25, दिनांक 30.03.2025	सहारनपुर स्थित सर्किट हाउस में ए0सी0 और अन्य उपकरणों की स्थापना एवं आपूर्ति कार्य।	73.20	00.05	73.15	10.50	00.00	62.65	58.99	58.99	58.99
योग :-								**111.08**	**103.83**	**99.35**	**99.35**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(5) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) विद्युत/यॉत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा सम्बन्धित विद्युत/यॉत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 99,35,000(रूपये निन्यानबे लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या:-137/2025/आई1013212/001-397आ0(1)/23-5-2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी गोरखपुर, अलीगढ़, बांदा, गोण्डा व सहारनपुर।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, अलीगढ़, बांदा, गोण्डा व सहारनपुर।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, गोण्डा क्षेत्र, लो0नि0वि0।
11- अधीक्षण अभियन्ता, वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, गोरखपुर।
12- अधीक्षण अभियन्ता, वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, कानपुर।
13- अधीक्षण अभियन्ता, वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, सहारनपुर।
14- अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0।
15- अधिशासी अभियन्ता, यॉत्रिक खण्ड, लो0नि0वि0, गोरखपुर।
16- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, अलीगढ़।
17- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर।
18- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, गोण्डा।
19- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर।
20- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।